(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 14/2023-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 19अक्तूबर, 2023

सा.का.नि. ..... (अ)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, उप-खंड (2) में, मद (i) में, "डाक विभाग" शब्दों के बाद, "और रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) " शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 5क के समक्ष, कॉलम (2) में, "केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाएं" शब्दों के बाद, "[रेल मंत्रालय (भारतीय रेल) को छोड़कर]" शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा।

2 यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/195/2023-टीओ (टीआरयू-II)-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2023-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2023, जिसे सा.का.नि. 543 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।